प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

किश्त की राशि लेकर पीएम आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

पीएम आवास नहीं बनाने वाले 185 लाभुकों के खिलाफ जल्द केस दर्ज होगा :शशि प्रकाश

संवाददाता

डोमचांच : प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसे लेकर आवास नहीं बनाने वाले नगर पंचायत डोमचांच के 185 लाभुकों के खिलाफ सरकारी राशि गबन करने की प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी चल रही है सभी 185 लाभुकों को नगर प्रबंधक सह योजना के नोडल पदाधिकारी श्री शशि प्रकाश की ओर से चेतावनी पत्र देकर अंतिम मौका देते हुए 15 सितंबर 2021 तक आवास निर्माण पूर्ण करने के लिए कहा जा रहा है, वर्ष 2022 तक पीएम आवास योजना का लक्ष्य पूरा करने का समय रखा गया है, नगर पंचायत डोमचांच में प्रध ाानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मकान बनाने के लिए उन 185 लोगों ने तीसरी किस्त की राशि ले ली है लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया है। वही नगर पंचायत डोमचांच में 861 आवास की मिली स्वीकृति में से 275 आवास पूर्ण डोमचांच नगर पंचायत में वर्ष 2019–20 से लेकर साल 2019–20 तक 861 पीएम आवास बनाने की स्वीकृति मिली अब डोमचांच क्षेत्र में 275 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है शेष 586 लाभुकों को आवास निर्माण के लिए नोटिस देकर निर्माण शुरू करने का अंतिम मौका देते हुए सभी लाभुकों को निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कहा गया है।

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार